अनुसूचित जातियों हेतु को विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग संबंधी दिशा निर्देश

ए0 के0 चौधरी
संयुक्त सचिव
दूरभाष सं0 23381643

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

अ.शा.पत्र सं. 11014/21/97-एस.सी.डी.-II **दिनांक 6 अक्टूबर, 1998**

विषय: अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.)- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, उपयोगिता इत्यादि को विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए मानकों में आशोधन।

जैसाकि आपको ज्ञात है, विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों हेतु उनके विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों हेतु विकास कार्यक्रमों पर जोर देना है जोकि इनके व्यावसायिक पैटर्न और इनके सीमित संसाधनों से उत्पादकता और आय को बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में है। यह श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक विविधता लाने में सहायक होगा। विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु परिवार मुखी योजनाओं पर जोर देना अपेक्षित है जोकि निर्णायक अंतरों को पाटने के लिए संसाधनों को प्रदान करके और अप्राप्त महत्वपूर्ण इनपुट्स को मुहैया कराके है ताकि योजनाएं अधिक अर्थपूर्ण हो सके। चूंकि अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं/कार्यक्रम स्थानीय व्यावसायिक पैटर्न और उपलब्ध आर्थिक कार्यकलापों पर निर्भर होती हैं, अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एस0सी0ए0 को उपयोग करने में पूरी स्वतंत्रता दी गई है बशर्ते यह एस0सी0पी0 और अन्य संसाधनों जैसे विभिन्न निगमों, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से उपलब्ध अन्य स्त्रोतों के संयोजन से उपयोग की जाए ।

2. विकास के विभिन्न सेक्टरों के तहत, जहां एस.सी.ए. प्रयुक्त की जा सकती है के तहत दृष्टांत स्वरूप सूची को पहले ही इस मंत्रालय के अ.शा. पत्र सं0 19020/35/93-एस.सी.डी.-VI, दिनांक 29 जुलाई, 1993 (अनुबंध-I के रूप में प्रति संलग्न) **के अंतर्गत परिचालित की गई है । अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रमों हेतु एस.सी.ए. के प्रयोग के लिए 50औ या अधिक की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के ब्लॉकों की शर्त में छूट दी गई है और अब ऐसे गांव जहां 50औ या अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, को एस.सी.ए. निधियों की सहायता से अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रमों हेतु विचार किया जा सकता है । राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में जारी कुल एस.सी.ए. के केवल 10%**

को अवसंरचना विकास कार्यक्रमों हेतु उपयोग किया जाना चाहिए । इस संबंध में दिनांक 7 सितम्बर, 1998 को जारी अ.शा. पत्र सं0 19020/35/93-VI एस.सी.डी.-VI की प्रति अनुबंध-II पर संलग्न है ।

3. आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा निम्नलिखित आशोधनों और शर्तों के साथ IXवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना के जारी रहने को अनुमोदित किया गया है-

(i) विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की जाएगी-

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की आबादी	**40%**
(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सापेक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर (राज्य प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का व्युत्क्रम)	**10%**
(ग) इस समुदाय के व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में समर्थ बनाने के लिए योजनाओं में संयुक्त आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा समाविष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत	**25%**
(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की आबादी की अपेक्षा में वार्षिक योजना में विशेष संघटक योजना का प्रतिशत	**25%**

(ii) योजना हेतु कुल बजट आबंटन के 2% को **पूर्वोत्तर राज्यों जो अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना कार्यान्वित करते हैं,** के लिए निर्दिष्ट होगा ।

(iii) उपर्युक्त मापदण्ड क (i) के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 15% को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनन्य रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं की व्यवहार्य आय सृजन आर्थिक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों पर ही उपयोग किया जाएगा ।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 5औ का उपयोग अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों में विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा ।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 3औ का उपयोग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों की सहायता से कार्यान्वित आर्थिक विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए किया जाएगा ।

(vi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त को पूर्व वर्ष के संचयी आरम्भिक अतिशेष के व्यय और चालू वर्ष हेतु प्रथम किस्त के 75% को सुनिश्चित करने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए।

4. विभिन्न स्तरों पर योजनाओं के पर्यवेक्षण, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन हेतु अभिप्रेत स्टाफ के लिए अनुमत एस.सी.ए. की सीमा को 1% से 3% बढ़ाया गया है और इसमें कार्यान्वयन के सभी स्तरों के उद्देश्य हेतु स्टाफ और अवसंरचना की अपेक्षा को शामिल किया गया है । गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक विकास हेतु व्यवहार्य योजनाओं पर एस.सी.ए. निधियों की समुचित और समय पर उपयोग हेतु इस पर अधिक ध्यान की अपेक्षा है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्य व जिला जिला स्तरों पर अपना मॉनीटरिंग मेकेनिज्म सुदृढ़ करना चाहिए । कार्यान्वयन एजेंसियों से जिला स्तर मॉनीटरिंग समिति और जिला स्तर समिति से राज्य स्तर मॉनीटरिंग समिति को तिमाही आधार पर निधियों के कार्यान्वयन और उपयोग पर मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से नियमित फीड बैक होनी चाहिए । **अनुसूचित जाति कल्याण और विकास से संबंधित विभाग के सचिव को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर एस.सी.ए. के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट और प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर निधियों के उपयोग पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजनी चाहिए ।** मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर, इस विषय पर, विशेष रूप से एस.सी.ए. से एस.सी.पी. के तहत निधियों के उपयोग पर, यदि निधियों का कहीं कोई विषयान्तर हो, को इंगित करते हुए योजना आयोग को समेकित राज्यवार रिपोर्ट भेजेगी ।

5. कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों को निधियों की देर से निर्मुक्ति, कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों को मंजूर/जारी निधियों जिसके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया है, का अनुपयोग, कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों के साथ पर्याप्त दीर्घ अवधि हेतु निधियों के अव्ययित शेष का संचय, सिविल जमाओं, सावधि जमाओं, बचत बैंक एकाउन्ट, पी.एल.ए. इत्यादि में निधियों को रखना, योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समुचित कार्रवाई योजना की कमी, योजनाओं की सम्भाव्यता और व्यवहार्यता को सुनिश्चित किए बिना योजनाओं हेतु निधियों की स्वीकृति, अनुसूचित जातियों हेतु अभिप्रेत योजनाओं के लाभ को गैर-अनुसूचित जातियों इत्यादि को लीकेज जैसे कारक लक्षित समूह के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को मंद करते हैं । ऐसी कमियों/त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रभावी उपायों को बनाने की आवश्यकता है ताकि एस.सी.ए. जारी करने का उद्देश्य सार्थक रूप से पूरा हो सके। अनुसूचित जातियों हेतु विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपायों में से, निम्न तथ्यों पर अधिक जोर दिया जा सकता है-

i) भारत सरकार से एस.सी.ए. प्राप्त करने के बाद बिना किसी देरी के कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करना ।

ii) कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी एस.सी.ए. का अलग एकाउन्ट का रखरखाव किया जा सकता है और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एस.सी.ए. निधियों के उपयोग पर, कार्यान्वयन एजेंसियों से आवधिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से, नियमित रूप से निगरानी रखी जा सकती है ।

iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त हो ।

iv) राज्य और जिला/ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के एस.सी.ए. एकाउन्ट की वार्षिक लेखा-परीक्षा सुनिश्चित की जाए ।

v) कार्यान्वयन एजेंसियों या नोडल विभाग द्वारा सिविल जमाओं, सावधि जमाओं, बचत बैंक एकाउन्ट, पी.एल.ए. इत्यादि में अधिक अवधि हेतु एस.सी.ए. निधियों को रखने को हतोत्साहित किया जाए। योजनाओं और लाभार्थियों को ज्ञात करने और योजनाओं की स्वीकृति और लाभार्थियों को सहायता जारी करने में विलम्ब का परिणाम प्रायः निधियों का विभिन्न एकाउन्ट में जमा कराना होता है। इनको पूर्व में जारी निधियों के उपयोग का पता किए बिना कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति से अव्ययित शेष का संचय और विभिन्न एकाउन्ट में जमा में बढ़ोतरी होती है।

अनुसूचित जातियों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार्य योजनाओं को ज्ञात करने और वित्त वर्ष में सहायता हेतु विचारार्थ पात्र लाभार्थियों को अभिज्ञात करने संबंधी प्रक्रिया को वित्त वर्ष के शुरूआत से ठीक पहले पूरा किया जाना चाहिए। योजनाओं की मंजूरी और सहायता की निर्मुक्ति को इस प्रकार एस.सी.ए. निधियों की प्राप्ति के बाद ही समय पर सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे वित्तीय वर्ष के अन्त में योजनाओं को बिल्कुल आखिर में स्वीकृति करने से बचने और निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता होगी ।

6. भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वित्त वर्ष के शुरू में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेष केन्द्रीय सहायता का अनंतिम आबंटन सूचित करेगा और वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या और सापेक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त जारी करेगा। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रयास आधारित मानदंड पर सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए । यह मानदंड पैरा 3 (i) में उल्लिखित (ग) और (घ) और पूर्व वर्ष के दौरान इनको जारी विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग और चालू वर्ष के दौरान अगस्त माह में प्रत्येक वर्ष जारी की गई पहली किस्त के अनुसार है। इससे वित्त-वर्ष की छमाही के आरम्भ में दूसरी किस्त की निर्मुक्ति सुनिश्चित होगी ।

7. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 15% और 5% के उपयोग को अनुसूचित जातियों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं और विकलांगों हेतु क्रमशः अनन्य रूप से आर्थिक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु इस वर्ष (1998-99) से सुनिश्चित किया जाए। अनुसूचित जातियों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं और विकलांगजनों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग संबंधी प्रगति जिसमें कार्यान्वित योजनाओं, उपयोग की गई निधियां और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या को इंगित करते हुए, सूचना हो, इस वित्त वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर इस मंत्रालय को भेजी जाए। इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट अगले वर्ष से प्रत्येक छः माह की अवधि की समाप्ति पर एक माह के भीतर इस मंत्रालय को भेजी जाए ।

8. विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों के समर्थन से कार्यान्वित होने संबंधी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरीके से सूत्रीत किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट मजदूरी नियोजन या स्व-रोजगार में सुनिश्चित हो ।

9. स्वीकृत योजनाओं के बाद लाभार्थियों का अनुवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्या इन्होंने आवश्यक परिसम्पत्तियां अर्जित कर ली हैं और आय सृजन कार्यकलापों हेतु परिसम्पत्तियों का उपयोग कर रहे हैं । रिकार्ड का समुचित रखरखाव जैसे प्राप्त निधियों के लेखे, सब्सिडी और बैंक ऋण सहित लाभार्थियों को प्रदान राशि, लाभार्थियों का पूरा पता, कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों इत्यादि द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के तहत अर्जित परिसम्पत्तियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

10. मैं आभारी होऊंगा यदि विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों के पूर्ण उपयोग और लक्षित समूह के लाभार्थ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विभिन्न उपायों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और इन्हें व्यवहार में लाया जाए ।

भवदीय,

(ए.के. चौधरी)

सेवा में,

1. संलग्न सूची के अनुसार 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
2. संलग्न सूची के अनुसार 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति कल्याण एवं विकास से संबंधित सचिव ।

प्रति :

1. सलाहकार (एसडब्ल्यू एवं बीसी) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
2. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, लेखा-परीक्षा, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निदेशक (वित्त), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(ए.के. चौधरी)
संयुक्त सचिव